



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
(प्रशासनिक भवन : करवड़, नागौर रोड, जोधपुर)

क्रमांक: डॉ. एस.रा.रा.आ.वि./गोपनीय/2025/87

दिनांक: 21.01.2025

—: कार्यालय आदेश :—

डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आयोजित विद्या परिषद् दिनांक 25.10.2024 एवं प्रबंध बोर्ड उपवेशन दिनांक 19.12.2024 में पारित सूचना का अधिकार-2005 से सम्बंधित निर्णय पारित किये गये जो निम्नानुसार है :-

1. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस बिन्दू संख्या 09 के उपबिन्दू (C) में के अनुसार किसी भी छात्र जो कि मूल परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण किए जा चुके है, यदि दूसरे परीक्षक (पुनर्मूल्यांकनकर्ता) का पुरस्कार पहले परीक्षक से कम है और कमी 05 प्रतिशत से अधिक है लेकिन पेपर के लिए निर्धारित अधिकतम अंकों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो दोनों पुरस्कारों का औसत अंकों को पुनर्मूल्यांकन के रूप में लिया जाएगा। बशर्ते कि अभ्यर्थी के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उसका डिवीजन न बदले या उसे उत्तीर्ण होने के बजाय पूरक न मिल जाए या वह किसी व्यक्तिगत पेपर/विषय में अनुत्तीर्ण न हो जाए। साथ ही, उत्तीर्ण छात्र के मामलों में अंक उस सीमा तक कम कर दिए जाएंगे, जिससे कि उसके परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(in case the award of the second examiner (Re-evaluator) is less than that of the first examiner and the decrease is more than 5% but not more than 20% of the maximum marks prescribed for the paper, the average of the two awards shall be taken as the marks re-evaluation provided the result of the candidate is not affected adversely his division is not changed or he/she does not get supplementary instead of pass or he/she does not fail in an individual paper/subject instead of pass. In such cases the marks shall be decreased to the extent that his/her result is not affected adversely)

अतः विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त पाठ्यक्रमों के आगामी समस्त परीक्षा परिणाम विद्या परिषद् व प्रबंध मण्डल में पारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त नियमानुसार ही जारी किए जाएंगे।

क्रमांक: डॉ.एस.आर.रा.आ.वि.वि./गोपनीय/2025/88-92

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, डॉ. एस.आर. राज. आयुर्वेद वि.वि. जोधपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कुलसचिव महोदय, डॉ. एस.आर. राज. आयुर्वेद वि.वि. जोधपुर।
3. प्राचार्य समस्त संघटक एवं संबद्धता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालय/नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 21/01/25

परीक्षा नियंत्रक